

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 8(17)त.शि/2019

जयपुर, दिनांक 29.9.2022

—आदेश—

29 SEP 2022

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत प्रवक्ता-गणित के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर Subject to police & degree verification पर नियुक्त कर (Provisional) उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है—

क्र. स.	रोल नं.	मेरिट सं०	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	कटैगरी	चयन विरुद्ध कटैगरी	पदस्थापन स्थान
1	514060	M-01	श्री नकुल पारीक पुत्र श्री मनीराम पारीक, नकुल निवास, वार्ड नं. -25, रोड़वेज डिपो के पीछे, सरदारशहर, चुरू - 331403	26.07.1994	GE,NG, RG	GENM	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
2	504800	M-02	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप टेलर, पम्प हाउस के सामने, रोड़ नं. 2 व 3 के बीच, माननगर, झुन्झुनू - 333001	16.06.1987	BC, RG	GENM	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, पिलानी(झुन्झुनू)
3.	510688	M-03	श्री हेमन्त रेना पुत्र श्री पन्ना लाल रेना, जेएजेयू आईटीआई के पीछे, ब्यावर रोड़, पीसांगन, अजमेर - 305204	14.03.1996	BC,NG, RG	GENM	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नावां(नागौर)
4.	512184	M-04	श्री पवन जाखड़ पुत्र रुध नाथ जाखड़, ग्रा.पो.- जैतासर, तह. -जैतासर, जिला- चुरू - 331802	07.06.1998	BC, LD	GENM, LD	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नागौर।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन दी जा रही है:-

1. स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को रनिंग पे-बैण्ड संख्या-3 (15600-39100) लेवल AL-9A for Master Degree एवं स्नातकोत्तर (With NET, SLET, SET) अभ्यर्थियों को रनिंग पे-बैण्ड संख्या-3 (15600-39100) लेवल AL-10 for Master Degree पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. उक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 39300/- एवं स्नातकोत्तर (With NET, SLET, SET) अभ्यर्थियों को 40000/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
3. परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
4. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
5. कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.1(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अन्तर्गत संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर दी जाएगी (प्रपत्र संलग्न)। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किए जाने का अधिकार होगा।
6. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को स्व घोषणा अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न)
7. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2022 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।(प्रपत्र संलग्न)
8. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. पेंशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों/परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे
10. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन रहेगी।

13. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार चौहान)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(03)(7)भर्ती क/
Lect./त.शि.वि./2020-21/269 दिनांक 02.08.2022 के क्रम में।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे एवं उक्त दस्तावेजों सहित कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवावे।
6. संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव त.शि.